भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1962

दिनांक 11.05.2016/21 वैशाख, 1938 (शक) को उत्तर के लिए

पंजाब में दर्ज किए गए अवैध व्यापार (तस्करी) के मामले

1962. श्री दिग्विजय सिंह :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष में पंजाब से गुमशुदगी तथा मानव तस्करी के कितने मामले दर्ज किये गए हैं;
(ख) क्या सरकार के पास पंजाब से लापता होने तथा तस्करी के मामलों के ब्यौरे है और लिंग, आयु वर्ग, धर्म, जाति, समुदाय, शिक्षा और जिले के अनुसार इन मामलों की संख्या कितनी-कितनी है;
(ग) सरकार पंजाब में उन लाइसेंस प्राप्त अभिकरणों के विरूद्ध क्या कार्रवाई करने की योजना रखती है जो नागरिकों को विश्व के देशों में प्रवास का वायदा करके उनकी अवैध तस्करी करते हैं; और
(घ) क्या सरकार पंजाब में इन अभिकरणों पर निगरानी रखने के लिए एक विनियामक ढ़ांचे का प्रस्ताव करती है ताकि वे नागरिकों का जीवन खतरे में न डाल सकें और उन्हें धन के लिए बंधक न बना सकें?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री **(श्री हरिभाई परथीभाई चौधरी)**

(क) और (ख) : राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, वर्ष 2015 के दौरान अनुलग्नक- I में दिए गए विवरण के अनुसार पंजाब में मानव दूर्व्यापार के अंतर्गत कुल 08 मामलों और कुल 2737 व्यक्तियों के लापता होने की सूचना प्राप्त हुई। धर्म, जाति, समुदाय, शिक्षा और जिला-वार आंकड़े राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखे जाते हैं।

<u>राज्य सभा अता.प्र.सं.1962</u>

(ग) और (घ) : पंजाब पुलिस लाइसेंस प्राप्त एजेंसियों के खिलाफ विशिष्ट शिकायतें प्राप्त होने पर कार्रवाई करती है और उसने विगत दो वर्षों के दौरान लाइसेंस प्राप्त एजेंसियों के खिलाफ दो मामले दर्ज किए हैं।

पंजाब में, मानव दूर्व्यापार पर अंकुश लगाने के लिए सभी जिलों में मानव

दूर्व्यापार-रोधी इकाइयां स्थापित की गई हैं और इन मानव दूर्व्यापार-रोधी इकाइयों के लिए नोडल अधिकारियों के रूप में पुलिस अधीक्षख/उप पुलिस अधीक्षक रैंक के अधिकारियों को नाम-निर्देशित किया गया है। बच्चों का दूर्व्यापार रोकने के लिए सभी जिलों को मानक प्रचालन प्रक्रिया और परामर्शी-पत्र जारी किए गए हैं और पुलिस अधिकारियों को भी राज्य में दूर्व्यापार की शिकायतों पर ध्यान देने के निर्देश दिए गए हैं।

राज्य सभा अता.प्र.सं.1962

अनुलग्नक-I के पृष्ठ 1 का 1

वर्ष 2015 के दौरान पंजाब में लापता हुए व्यक्तियों की संख्या

राज्य	पुरूष	महिला	कुल
पंजाब	1515	1222	2737

वर्ष 2015* के दौरान पंजाब में दूर्व्यापार के सूचित मामले और दूर्व्यापार के शिकार आयु समूह-वार और लिंग-वार व्यक्ति

मानव दूर्व्यापार के कुल मामले	पुरूष (एम)			महिला (एफ)			ट्रांसजैंडर (टी)			कुल (एम+एफ+टी)		
	18 वर्ष से कम	18 वर्ष से अधिक	कुल	18 वर्ष से कम	18 वर्ष से अधिक	कुल	18 वर्ष से कम	18 वर्ष से अधिक	कुल	18 वर्ष से कम	18 वर्ष से अधिक	कुल
8	104	0	104	2	2	4	0	0	0	106	2	108

* सितम्बर, 2015 को छोड़कर ।

****